

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

संयुक्त आदेश


बिहारीगंज में तनाव की घटना के बाद एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने फेसबुक और वाट्सएप जैसे सोशल मिडिया द्वारा अफवाह या धार्मिक और जातीय उत्तेजक नारे आदि के पोस्ट पर नियंत्रण हेतु जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा के संयुक्त आदेश ज्ञादेश ज्ञापांक-2520/गो0, दिनांक 18-10-2016 तथा ज्ञापांक 2532/गो0, दिनांक 19-10-2016 के द्वारा एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया था, जिस पर विभिन्न स्रोतों से दूरभाष पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

अतएव अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में ग्रुप एडमिन, पत्रकारों, साइबर एक्सपर्ट एवं बुद्धिजीवी /प्रतिष्ठित लोगों के साथ दिनांक 20-10-2016 को बैठक में विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया :-

1. फेसबुक और वाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिन, जो मधेपुरा जिले के अन्तर्गत क्रियाशील हैं, की जिम्मेवारी होगी कि अगर उनके ग्रुप में उत्तेजक धार्मिक एवं जातीय पोस्ट, कमेंट, फोटो, विडियो आदि को अपलोड, शेयर या फारवर्ड होता है, जिससे विधि-व्यवस्था बाधित होती है या बाधित होने की संभावना हो, तो ऐसा करने वाले का स्क्रीन शॉट लेकर विभाग द्वारा निर्गत मोबाईल नं0 9955948775 पर या फेसबुक पेज मधेपुरा मॉनिटर पर अविलम्ब सूचित करेंगे।
2. ऐसी सूचनादाता एडमिन या सदस्य का नाम व पता प्रशासन के द्वारा गुप्त रखा जाएगा।
3. अगर एडमिन द्वारा समय पर यह सूचना उपरोक्त नम्बर पर नहीं दी जाती है, तो ऐसे एडमिन के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4. प्रशासन एवं पुलिस की तकनीकी सेल और साइबर क्राइम या स्पेशल टीम इंटरनेट द्वारा जिले में क्रियाशील फेसबुक, वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है।

तदनुसार पूर्व के संयुक्त आदेश ज्ञादेश ज्ञापांक-2520/गो0, दिनांक 18-10-2016 तथा ज्ञापांक 2532/गो0, दिनांक 19-10-2016 को विलोपित किया जाता है।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।


पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।


जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक...2535...../गो0, मधेपुरा, दिनांक...20/10/16.....

प्रतिलिपि : जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त सभी संबंधित पदाधिकारी /कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी स्थानीय प्रेस, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।


पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।


जिलाधिकारी
मधेपुरा।